न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 01/2014 निगरानी

1. खेमचन्द शर्मा पुत्र श्री कल्याण सहाय शर्मा जाति ब्राहमण उम्र 33 वर्ष निवासी महेन्द्र नगर बांदीकुई जिला दौसा राज. निगरानीकर्ता

बनाम

1. रामपाल शर्मा पुत्र श्री कन्हैया लाल शर्मा जाति ब्राहमण उम्र लगभग 65 वर्ष निवासी महेन्द्र नगर बांदीकुई जिला दौसा राज.

2. श्रीमान अधिशाषी अधिकारी महोदय नगर पालिका बांदीकुई जिला दौसा राज. गैरनिगरानीकार

अपील अन्तर्गत धारा 327 नगरपालिका अधिनियम 1950 विरूद्ध खसरा नं. 121 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा अंतिम निर्णय दिनांक 21.12.2012 को तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी महोदय नगरपालिका बांदीकुई जिला दौसा राज. के द्वारा रेस्पोडेन्ट नं. 01 को आम रास्ते सहित 953.14 वर्गगज के विधि विरूद्ध जारी पट्टे को निरस्त करके आम रास्ते को खुलवाने बाबत।

उपस्थिति : श्री गिर्राज प्रसाद अधिवक्ता निगरानीकर्ता
: श्री श्याम सुन्दर शर्मा अधिवक्ता गैर निगरानीकार सं0 1
: श्री अनिल कुमार भट्ट अधिवक्ता गैर निगरानीकार सं0 2।

—:निर्णय:— दिनांकः २२.02.2018

संक्षिप्त में निगरानी के तथ्य इस प्रकार से है कि रेस्पोडेन्ट रामपाल शर्मा पुत्र श्री कन्हैया लाल शर्मा जाति ब्राहमण ने जरिये विक्रय पत्र खसरा नं. 121 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा श्री कल्याण सहाय पुत्र श्री भौरीलाल से दिनांक 04.07.1982 को क्रय की गई थी जिसका क्षेत्रफल 6655 वर्गगज करीबन होता है। उक्त भूमि मे से दिनांक 08.07.1982 को जरिये विक्रय पत्र 2926.77 वर्गगज जमीन का श्री हुकमचन्द अग्रवाल को बेचान किया। तत्पश्चात शेष बची भूमि में से नक्शा बनाकर भूखण्डो मे विभाजित की जिसमे से मेरे अभिभाष्य के पिता जगन्नाथ कल्याण सहाय शर्मा पुत्र श्री ओंकार प्रसाद शर्मा ने जरिये लिखावट (विक्रयनामा) से दिनांक 09.04.1983 को महेन्द्र नगर बांदीकुई में 200 वर्गगज भूमि खरीदी थी। जिसके स्टाम्प पेपर पर उत्तर में बसवा रोड से शुरू से आखिर तक 10 फिट चौडा रास्ता दर्शाया गया था। दुकानो के पीछे दोनो तरफ रामपालशर्मा ने 2 प्लाट अपने पास रख कर रास्ता दर्शाया था। जिसका साईट प्लान भी साथ भी दिया था। दिनांक 22.08.1988 को रेस्पोडेन्ट नं. 01 ने श्री हुकुमचन्द अग्रवाल पुत्र श्री किशोरीलाल से 100 वर्गगज भूखण्ड खरीद कर उक्त 100 वर्गगज भूखण्ड में से

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

होकर उक्त महेन्द्र नगर कॉलानी को दूसरा रास्ता देकर महेन्द्र नगर के दूसरे रास्ते से जोड कर कॉलानी वालो को दो रास्तो से जोड दिया (दूसरा रास्ता बहुत दूरी से घूमकर आता है)। मौका पाकर मूल रास्ते में रेस्पोडेन्ट नं. 01 ने लेट–बाथ, गटर के टैंक बनाकर रास्ते को अवरूद्ध कर दिया। जिसकी शिकायत आम नागरिको द्वारा नगरपालिका में प्रस्तुत कर रास्ते से शौचालयो को ध्वस्त कराने एवं आम रास्ते को खुलवाने हेतु निवेदन किया गया था। उक्त विवाद श्रीमान उपनिदेशक महोदय के यहॉ विचाराधीन था, किन्तु अधिशाषी अधिकारी रेस्पोडेन्ट नं. 02 ने रेस्पोडेन्ट नं. 01 से मिलकर विधि विरूद्ध तरीके से दिनांक 21.12.2012 को आम रास्ते सहित दोनो प्लाटो की राशि जमा करके एक ही दिन में सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण कर दिनांक 24.12.2013 को अधिशाषी अधिकारी को पट्टा रजिस्टर्ड करवाकर थमा दिया। उक्त पट्टा को निरस्त कराने हेतु यह निगरानी पेश की गई है।

निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी गैरनिगरानीकारान की गई एवं अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया तथा अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता निगरानीकार द्वारा बहस के दौरान निगरानी के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि अभिभाष्य के पिता कल्याण सहाय शर्मा ने जरिये विक्रयनामा दिनांक 9.4.1983 को महेन्द्र नगर बांदीकुई में 200 वर्गगज भूमि गैर निगरानीकार सं0 1 से खरीदी थी। उक्त स्टाम्प पेपर पर उत्तर में बसवा रोड से शुरू से आखिर तक 10 फिट चौड़ा रास्ता दर्शाया गया था। किन्तु दिनांक 22.8.1988 को गैर निगरानीकार सं0 1 ने श्री हुकमचन्द अग्रवाल पुत्र श्री किशोरीलाल से 100 वर्गगज भूखण्ड खरीदकर उक्त 100 वर्गगज भूखण्ड में से होकर उक्त महेन्द्र नगर कॉलोनी को दूसरा रास्ता देकर महेन्द्र नगर के दूसरे रास्ते से जोड़कर कॉलोनी वालों को दो रास्तो से जोड दिया। दूसरा रास्ता बहुत दूरी से घूमकर आता है। मौका पाकर मूल रास्ते में गैरनिगरानीकार सं0 1 ने लेटबाथ गटर के टैंक बनाकर रास्ते को अवरूद्ध कर दिया। अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका बांदीकुई गैर निगरानीकार सं0 2 ने गैर निगरानीकार सं0 1 से मिलकर विधि विरूद्ध तरीके से दिनांक 21.12.2012 को गैर निगरानीकार सं0 1 से उक्त आम रास्ते सहित दोनों प्लाटों की राशि जमा करके एक ही दिन में सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण करके दिनांक 24.12.2013 को पट्टा जारी कर दिया। अतः उक्त विधि विरूद्ध तरीके से जारी पट्टे को निरस्त किया जाकर अवरूद्ध हुए रास्ते को खुलवाने के आदेश फरमावें।

जवाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 01 द्वारा निवेदन किया गया की रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट के पिता को जो भूमि विक्रय की उसमें हदूद अर्बा में उत्तर दिशा में रास्ता दिया गया है उसी रास्ते का अपीलान्ट के पिता व अपीलान्ट उपयोग करते आ रहे है।

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

अब अपीलान्ट के मन में बदयान्ति पैदा हो गयी है। जो रेस्पोडेन्ट को दबाव में डालकर रेस्पोडेन्ट की रहवास की भूमि में जबरन रास्ता निकालने पर बार–बार नगरपालिका मण्डल बांदीकुई व निदेशक स्वायत्त शासन विभाग में शिकायत भेज चुका है। उक्त विभाग द्वारा मौके की जांच भी की जा चुकी है। जिसमें उक्त पट्टे शुदा भूमि पर किसी प्रकार का रास्ता नही है। अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट को परेशान करने की नियत से नया रास्ता रेस्पोडेन्ट की जमीन मे से होकर अवैध रूप से लेना चाहता है। जबकी वहां कोई खाली भूमि नही है। बल्कि रेस्पोडेन्ट ने अपनी भूमि में दो मंजिला दूकानो का निर्माण वर्ष 1983–84 में किया जा चुका है। अपीलान्ट ने शौचालय को हटाने व रास्ता बाबत सिविल न्यायाधीश बांदीकुई के यहां वाद पेश कर रखा है। जो लम्बित है। फिर भी अपीलान्ट ने श्रीमान के समक्ष अपील पेश कर दी। जिससे अपीलान्ट के मन में बदयान्ति प्रकट होती है। खसरा नं. 121 रकबा 02 बीघा 04 बिस्वा में दिनांक 21.12.2012 को अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका मण्डल बांदीकुई द्वारा रेस्पोडेन्ट नं. 01 को 953.14 वर्गगज भूमि का जो पट्टा जारी किया गया है। वह पूर्णतया जांच कर दिया गया है। इससे अपीलान्ट को किसी प्रकार की हानि नही हो रही है। निगरानीकार ने शौचालय को हटाने व रास्ता बाबत सिविल न्यायाधीश बांदीकुई के यहां वाद पेश कर रखा है। जो विचाराधीन है। निगरानीकार ने यह अपील रेस्पोडेन्ट सं. 01 को हैरान व परेशान करने की नियत से पेश की है। अतः निगरानी खारिज फरमाई जावे।

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 01 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात न्यायालय सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड बांदीकुई जिला दौसा द्वारा प्रार्थना पत्र सं. 40/2012 अस्थाई निषेधाज्ञा उनवानी कल्याण सहाय शर्मा बनाम रामपाल शर्मा में आदेश दिनांक 10.10.2013 के अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं. 01 रामपाल शर्मा विवादित स्थान पर कोई नया निर्माण करे और न ही अप्रार्थी सं. 02 वहां किसी नये निर्माण की इजाजत दे और सभी पक्ष ता–फैसला दावा मौके की यथा स्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये गये है। अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 द्वारा उक्त वाद अभी विचाराधीन होना व्यक्त किया गया है। ऐसी स्थिति में इस न्यायालय में प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से स्वीकार किया जाना हम उचित नहीं समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 22.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा